न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी:–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर:– 70/16 वाद पत्र

उनवान

1–बाबू पिता मांगु खटीक नि0 कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–जमनी बेवा मांगु खटीक नि0 कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–राघव स्वरूप भट्ट पिता रघुवीर भट्ट नि0 जयपुर हाल माईन्स संख्या 289 कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ए.एण्ड ए. माईन्स

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
हरिश टेलर

अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 26.05.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोट मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादीगण की अन्य आराजी के साथ आराजी संख्या 656 रकबा 1.08 हे0 खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की स्थित होकर उस पर हम वादीगण वर्षो से काबिज चले आ रहे है। आराजी संख्या 656 के साबिक नम्बर 162/20 थे जो गणेश पिता हजारी सुनार नि0 कोट के खातेदारी की थी, जिनसे क्रय करने के पश्चात दिनांक 09.12.59 से भूमि पर हमारा निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी का इस आराजी संख्या 656 से कोई लेना देना नही है। उसका कोई स्वत्व, कब्जा या अधिकार इस आराजी पर नही है लेकिन प्रतिवादी ताकत के बल पर हमारी आराजी मे दखलदांजी कर वहां अवैध रूप से खनन कार्य करने लग गया। दिनांक 01.06.2016 को जब हम अपनी आराजी पर गये तो देखा कि प्रतिवादी वहां पर मशीने लगा कर अवैध रूप से पत्थर निकाल रहा हैं हमने मना किया तो प्रतिवादी ने हमे धमकिया दी कि यहां से चले जाओ, यह तो मेरी खान है और खनिज निकालुंगा। तुम्हारे हो जो कार्यवाही कर लो। इसके बाद हमने दिनांक 09.06.2016 को थाना रायपुर पर रिपोर्ट भी दी लेकिन उन्होने कोई कार्यवाही नही की। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा कि न तो हमने किसी प्रकार की सहमति दी है न भूमि का अन्तरण किया है फिर किस आधार पर यहां खनन कार्य कर रहे है तो भी प्रतिवादी खनन कार्य करने से नही रूका और हमारी गैय मौजुदगी मे छुप–छुप कर अवैध खनन कर हमारी आराजी मे अनावश्यक दखलअदाजी कर रहा है। हम मौके पर धन, बल व बाहुबल से उनकी मुकाबला नही कर सकता हूँ। इसलिये प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कराने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत करने को विवश होना पड़ा। वादीगण खातेदार काश्तकार है। भूमि हम वादीगण के भुगत भोग मे है। प्रतिवादी को उसमे दखलनअंदाजी करने व अवैध खनन करने का कोई वैध अधिकार प्राप्त नही है इस कारण वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। बिनाय वाद दिनांक 01.06.2016 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 20.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही गई। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार केम्प में भी नोटिस जारी किये गये। जिसमे वादीगण उपस्थित है तथा प्रतिवादीगण उपस्थित नही है। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने से भूमि की मौके की जांच कर तहसीलदार रायपुर से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निर्देशानुसार राजस्व विभाग की टीम गठित कर दिनांक 09.07.2016 को सिमांकन किया गया मौके पर विपक्षी द्वारा आराजी नम्बर 654 रकबा 1.70 हे0 मे खनन किया जाना पाया गया प्रार्थी की

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 70/16 वाद पत्र

उनवान

1–बाबू पिता मांगु खटीक नि0 कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–जमनी बेवा मांगु खटीक नि0 कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–राघव स्वरूप भट्ट पिता रघुवीर भट्ट नि0 जयपुर हाल माईन्स संख्या 289 कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा ए.एण्ड ए. माईन्स

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी द्वारा तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कोट की आराजी नम्बर 654 रकबा 1.70 हे0 मे खनन किया जाना पाया गया प्रार्थी की आराजी मे किसी प्रकार का खनन नही किया जा रहा है जिस आराजी नम्बर 654 रकबा 1.73 हे0 मे खनन किया जा रहा है वह क्षेत्र एम एल नम्बर 289/06 के स्वीकृत परिधीय क्षेत्र मे आता है। मौके पर मुताबिक रिकार्ड रास्ता खुला हुआ है। इस प्रकार विचाराधीन प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा जो कथन अभिलिखित किये है वह रेकार्ड एवं मौके की स्थिति के अनुसार गलत है। अतः वादी का वाद पत्र खारिज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 26.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा